



Neutral Citation No - 2026:AHC:16433

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 757/2026

यशवीर सिंह

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : सुनील कुमार तिवारी

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार तिवारी और प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि रिट याचिका स्वयं सुनवाई योग्य नहीं हो सकती है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता का एक व्यस्त निकाय है और सेवा मामलों में, जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय के अनुसार, यदि प्रत्यर्थी संख्या 6 के खिलाफ कोई जांच की जाती है तब उसे तार्किक अंत दिया जाएगा।
4. तदनुसार, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

22 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।